न्यायालय अति. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2022 आवन्टन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. राजेश कुमार पिता नारायण लाल धाकड़ निवासी जावदा तहसील बिजौलिया

बनाम

1. उंकार लाल पिता मूणलाल धाकड़ निवासी थडौदा तहसील बिजौलिया
2. उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष भू–आवंटन समिति माण्डलगढ
3. तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा –14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 बाबत आंवटन आदेश दिनांक 19.05.1989

उपस्थित –

1. श्री राकेश चौहान अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.04.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी सं 1 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन समिति माण्डलगड द्वारा दिनांक 19.05.1989 को मौजा ग्राम मानपुरा तहसील बिजौलियां में बिलानाम भूमि खसरा सं 53 में 5 बीघा भूमि का आवंटन नियम विरूद्ध किया गया। जिसके वर्तमान नम्बर 726/53 हैं। प्रार्थी के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा होते हुए भी, अपात्र विपक्षी सं 1 को भूमि उपलब्ध नहीं होते हुए भी नियम विरूद्ध आवंटन कर दिया गया। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं था तथा आवंटी के या उसके संयुक्त परिवार के नाम जोतने के लिए भूमि वक्त आवंटन के लगभग 10 बीघा 10 बीस्वा भूमि हिस्से में थी। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के शर्तों के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, एवं दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार की कोई काश्त की गई है। आवंटन 1989 में किया गया तब से ही आवंटी द्वारा कृषि नहीं की जा रही है जिसका विवरण खसरा गिरदावरी में दर्ज है। आवंटी का मूल निवास थडौदा है तथा आवंटन उसके द्वारा ग्रम मानपुरा में करवाया गया है। इस प्रकार उक्त आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा ही उक्त बंजड भूमि को कृषि योग्य बनाया है एवं तभी से प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। आवंटी के द्वारा कभी भी कृषि नहीं किए जाने का अंकन खसरा

अति. जिला कलक्टर

गिरदावरी संवत् 2050–2073 में अंकन किया है जिससे ज्ञात होता है कि आवंटी द्वारा उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है व न ही कृषि की गई है। भूमि आवंटन के बाद से ही गैर खातेदारी में चली आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को आवंटित भूमि ग्राम मानपुरा तह–बिजौलिया के खसरा सं 726/53 में 5 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1989 को अपास्त फरमा भूमि को बिलानाम दर्ज फरमाये जाने को आदेश प्रदान किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। बावजूद सम्मन तामील के विपक्षी संख्या 01 अनुपस्थित। लगातार अनुपस्थित होने पर विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा होते हुए भी, अपात्र विपक्षी सं 1 को भूमि उपलब्ध नहीं होते हुए भी नियम विरूद्ध आवंटन कर दिया गया। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं था तथा आवंटी के या उसके संयुक्त परिवार के नाम जोतने के लिए भूमि वक्त आवंटन के लगभग 10 बीघा 10 बीस्वा भूमि हिस्से में थी। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के शर्तों के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, एवं दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करना आवश्यक है, किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही किसी प्रकार की कोई काश्त की गई है। आवंटन 1989 में किया गया तब से ही आवंटी द्वारा कृषि नहीं की जा रही है। भूमि आवंटन के बाद से ही गैर खातेदारी में चली आ रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटी को आवंटित भूमि ग्राम मानपुरा तह–बिजौलिया के खसरा सं 726/53 में 5 बीघा भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1989 को अपास्त फरमा भूमि को बिलानाम दर्ज फरमाये जाने को आदेश प्रदान किया जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सत्यापित फोटोप्रति का परीक्षण उपरान्त पाया गया कि आवंटी को ग्राम मानपुरा की आराजी नं. 53 में रकबा 05 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.05.1989 को जरिये लगान, पटटा फीस एवं नजराना राशि जमा कर, आवंटन किया गया। बाद आवंटन दिनांक 29.05.1989 को कब्जा सुपुर्द किया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

होती हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अध्ययन करने पर आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आती हैं। आवंटन सलाहकार समिति ने विधिक रूप से आवंटन किया हैं। आवंटन पश्चात् विपक्षी संख्या 01 द्वारा खसरा गिरदावरी संवत् 2058 अनुसार आवंटित आराजी पर तिल की काश्त किया जाना स्पष्ट होता हैं।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रणजीत बनाम राजबाला व अन्य अनुसार आवंटित भूमि बिलानाम रूप में दर्ज थी, भूमि न तो चारागाह थी, न सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग की थी। प्रार्थी आवंटित भूमि पर अतिक्रमी था, जिसे आवंटन को चुनौती देने में अतिक्रमिता को श्रवणाधिकारिता नही हैं। (Tresspasser has no right to challenge the order of allotment).। अतिक्रमी के कब्जे की भूमि रिक्त भूमि हैं और आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

उपरोक्त विवचेन अनुसार उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 01 आवंटन के लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो जाने से एवं अतिक्रमी को आवंटित भूमि को अतिक्रमण के आधार पर चुनौती देने की श्रवणाणिकारिता नही होने से तथा आवंटित भूमि मिसरिप्रजेन्टेशन एवं फ्रॉड की श्रेणी से मुक्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं। विपक्षी संख्या 01 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ एवं निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा